कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक 2471 / 10–4 दिनांक, लखीमपुर–खीरी, 27 / 10 / 2017

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक,
सूचना औद्योगिक,
शीशम बाग, लखनऊ।

विषयः– **वन विभाग में संलिप्त वाहन के अधिहरण की सुनवाई में वाहन स्वामी के उपस्थित सम्बन्धी विज्ञप्ति / सूचना प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि दक्षिण खीरी वन प्रभाग अन्तर्गत मोहम्मदी व शारदानगर रेंज अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध कटान में संलिप्त वाहनों के वाहन स्वामियों को जारी रजिस्टर्ड नोटिस पर उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग कार्यालय द्वारा तिथियां दी गयी, परन्तु उक्त वाहनों के वाहन स्वामी, दी गयी तिथियों पर उपस्थित नही हुये। इस वन प्रभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से वाहन स्वामियों की उपस्थिति सूचना की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसका प्रकाशन अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में प्रकाशन कराते हुए एक–एक प्रति इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति, सी0डी0 संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार (सी0डी0)

भवदीय

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

पत्रांक /अ– दिनॉकित,

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

<u>अधिहरण वाद संख्या 08/2016–17 में वाहन स्वामी की उपस्थित</u>

<u>सूचना</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) सीतापुर के कार्यालय पत्र संख्या 76/सा0प्रशा0/टी0आर0/सीतापुर/2017 दिनॉक 27.01.2017 के अनुसार श्री रवि कुमार मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा, निवासी–1205 थवई टोला, बिसंवा, जिला सीतापुर, वाहन संख्या यू0पी0 34 टी 8518 के पंजीकृत वाहन स्वामी है। उक्त वाहन दक्षिण खीरी वन प्रभाग की शारदानगर रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान/अभिवहन में लिप्त था, जिस कारण उसके अधिहरण की कार्यवाही की जा रही है। पंजीकृत डाक से वाहन स्वामी को सूचना भेजे जाने पर डाक विभाग द्वारा " **लिखित पते पर पता नही चला** " लिख कर वापस कर दिया। समाचार पत्र में माध्यम से श्री रवि कुमार मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा, (पंजीकृत वाहन स्वामी) को अवगत कराया जाता है कि दिनॉक 17.11.2017 को वन अपराध में संलिप्त वाहन के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग कार्यालय में 11.00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस पत्र के माध्यम से श्री रवि कुमार मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा, को अन्तिम रूप से सूचित किया जा रहा है। उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त अधिहरण वाद में उपलब्ध अभिलेखानुसार अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

(समीर कुमार)
प्राधिकृत अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

<u>अधिहरण वाद संख्या 05/2014–15 में वाहन स्वामी की उपस्थित</u>

<u>सूचना</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के दिनॉक 23.09.2014 के अनुसार श्री जयन्त कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, ग्राम व पोस्ट निगोही, थाना निगोही, जिला शाहजहॉपुर, वाहन संख्या यू0पी0 27 टी 2308 के पंजीकृत वाहन स्वामी है। उक्त वाहन दक्षिण खीरी वन प्रभाग की मोहम्मदी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण कटना–13 में अवैध कटान/अभिवहन में लिप्त था, जिस कारण उसके अधिहरण की कार्यवाही की जा रही है। पंजीकृत डाक से वाहन स्वामी को सूचना भेजे जाने पर डाक विभाग द्वारा **" तलाश करने पर नही मिला "** लिख कर वापस कर दिया। समाचार पत्र में माध्यम से श्री जयन्त कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, (पंजीकृत वाहन स्वामी) को अवगत कराया जाता है कि दिनॉक 17.11.2017 को वन अपराध में संलिप्त वाहन के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग कार्यालय में 11.00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस पत्र के माध्यम से श्री जयन्त कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, को अन्तिम रूप से सूचित किया जा रहा है। उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त अधिहरण वाद में उपलब्ध अभिलेखानुसार अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

(समीर कुमार)
प्राधिकृत अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग।